

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 810-पीबीआर/2016 एवं 811-पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 13-1-2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 414/2014-15 एवं प्रकरण क्रमांक 353/2014-15/अपील.

श्रीमती नारायणीदेवी पत्नी स्व०श्री रामकरन सिंह(मृत वारिसान :-)

निवासी ग्राम जलालपुर परगना व जिला ग्वालियर

1-नरेश उर्फ मातादीन पुत्र स्व०श्री रामकरन सिंह

2-परशुराम पुत्र स्व० श्री रामकरन सिंह

3-राजेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र स्व० श्री रामकरन सिंह

4-श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री स्व०श्री रामकरन सिंह पत्नी ब्रजेश लोधी

5-श्रीमती गीतादेवी पुत्री स्व.श्री रामकरनसिंह पत्नी शंकरसिंह

निवासीगण ग्राम जलालपुर परगना व जिला ग्वालियर

6-श्रीमती किरणदेवी पुत्री स्व०श्री रामकरनसिंह पत्नी श्री प्रेमसिंह

निवासी शर्मा फार्म रोड चार शहर का नाका लश्कर ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1-अखिलेश कुमार शर्मा डायरेक्टर

कार्यालय बी एम 516 दीन दयाल नगर ग्वालियर

2-जसवंत सिंह पुत्र श्री रामचरन

3-सुल्तान सिंह पुत्र श्री रामचरन

निवासीगण ग्राम विक्रमपुर परगना व

जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक-आवेदकपक्ष


श्री मनोज धवन, अभिभाषक-अनावेदकगण

.....
:: आदेश ::

(आज दिनांक 21/5/12 को पारित)


यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-1-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम विक्रमपुर तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 252 मिन रकबा 0.195 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 253 मिन रकबा 0.314 हेक्टेयर भूमि के भूमिस्वामी रामकरन थे । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 07/30-7-2010 में पारित आदेश दिनांक 10-12-2007 से उपरोक्त भूमियों पर अनावेदकगण के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध आवेदिका श्रीमती नारायणीदेवी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमियों उसके पति रामकरन सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी एवं उनके द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 21-5-13 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को उनकी भूमि में शामिल कर नामान्तरण करा लिया गया है, अतः नामान्तरण आदेश निरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2013-14/अपील दर्ज कर दिनांक 16-6-2015 को आदेश पारित किया जाकर नामान्तरण पंजी क्रमांक 07/30-7-2007 में पारित आदेश दिनांक 10-12-2007 निरस्त किया जाकर पूर्व में नामान्तरण पंजी क्रमांक 12/24-4-05 में पारित आदेश दिनांक 27-5-05 भी निरस्त किया गया और निर्देश दिये गये कि उभयपक्ष वसीयत के आधार पर अथवा सहकृषकों के मध्य बटवारा हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से विधिवत् आवेदन पत्र



प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि वह अनावेदकगण द्वारा विक्रय की गई भूमि है, जिस पर अनावेदकगण का पंजी क्रमांक 12/24-4-05 दिनांक 27-5-05 द्वारा प्राप्त आधिपत्य त्रुटिपूर्ण था। अनावेदकगण अपने अनुबंध पत्र के आधार पर स्वत्व का निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय में वाद लाने के लिये स्वतंत्र है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दो द्वितीय अपील क्रमशः अनावेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के द्वारा पृथक पृथक प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दोनों अपीलों में दिनांक 13-1-2016 को संयुक्त आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर दोनों अपीलों स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध ये दो निगरानीयों इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब वर्ष 2005 में बटवारा होकर प्रश्नाधीन भूमियों बटवारे में अनावेदक क्रमांक 2 व 3 जसवंत सिंह एवं सुल्तानसिंह को प्राप्त हो गई थी तब दुबारा इन्हीं भूमियों पर वर्ष 2007 में पुनः इन्हीं सर्वे नम्बर पर अनावेदकगण का नामान्तरण किया जाना शंका उत्पन्न करता है। यह भी कहा गया कि विक्रेता के स्थान पर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय हुआ ही नहीं। तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 2005 में आवेदिका के पति रामकरण की भूमि में अनावेदकगण सह खातेदार नहीं है, अतः बटवारा आदेश पारित हो ही नहीं सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें स्वीकार किया गया था परन्तु उन पर कार्यवाही नहीं कर विचार नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर पारित आदेश को अनावेदकगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा कय की गई है और पंजी पर



पारित नामान्तरण आदेश बटवारा आदेश प्रारंभ से ही शून्य होकर अकृत है, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुबंध के आधार पर अनावेदकगण को किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और स्वत्व प्राप्त करने की कार्यवाही उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय से की जा सकती है।



4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का नामान्तरण प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 12/24-4-05 में पारित आदेश दिनांक 27-5-05 से हो गया था और उक्त आदेश को श्रीमती नारायणीदेवी द्वारा अपील में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक भूल की गई थी, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण पंजी क्रमांक 7/30-7-07 में पारित आदेश दिनांक 10-12-2007 द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 27-5-2005 निरस्त नहीं किया जा सकता है।

(3) नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 27-5-2005 में रामकरण द्वारा सहमति दी गई थी और आवेदिका नारायणीदेवी द्वारा उक्त सहमति को चुनौती नहीं दी गई है और न ही रामकरण के जीवकाल में उक्त आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अतिरिक्त रामकरण द्वारा अपने जीवनकाल में भी उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है इसलिये भी उक्त आदेश अंतिम होने से निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है।

(4) आवेदिका की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जबाव अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अत्यधिक विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

(5) रामकरन, जसवंत व सुल्तानसिंह के मध्य हुये बटवारे को एवं श्यामा रायल विला प्रा०लि० के पक्ष में दिनांक 8-7-13 को निष्पादित बयनामा के विरुद्ध श्रीमती नारायणीदेवी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से वह अंतिम हो गया है और उन्हें बिना निरस्त कराये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) आवेदिका नारायणीदेवी द्वारा स्वयं को तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर एकमात्र स्वामी बताते हुये बिना रामकरन के शेष वारिसान को पक्षकार बनाये अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि पोषनीय नहीं थी ।

(7) वर्ष 2005 लगायत 2014 के खसरो की सत्यप्रतिलिपि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में रामकरन के स्थान पर जसवंत व सुल्तान का नाम दर्ज किया गया था और आवेदिका द्वारा कहा गया था कि चूँकि वर्ष 2007 में सर्वप्रथम रामकरन के स्थान पर जसवंत व सुल्तान का नाम इन्द्राज हुआ है इसलिये वर्ष 2005 के आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है ।

(8) आवेदिका श्रीमती नारायणीदेवी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 21-5-13 को संपादित होना दर्शाया गया है, जबकि दिनांक 22-5-13 को एक दिन बाद रामकरन की मृत्यु हो गई है और वसीयतनामा नोटरीज्ड भी नहीं है । अतः उसे सदिग्ध मानने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।


5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 के खसरे में भूमि सर्वे नम्बर 160 तथा 193 रामकरण पुत्र कुवंरपाल के नाम दर्ज है । पंजी क्रमांक 7 प्रमाणीकरण दिनांक 19-12-2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें सर्वे क्रमांक 193 तथा 160 मूल प्रविष्टियों के उपर तथा नीचे रामकरण पुत्र देवीसिंह के नाम की अन्य प्रविष्टी के साथ जोड़े गये - जो कि उपरिलेखन प्रतीत होता है । स्पष्ट है कि रामकरण तथा रामकरण दो अलग अलग नाम के खातों को अवैध रूप से जोड़कर यह नामान्तरण/बटवारा किया गया है । इसी प्रकार



जसवंत ने एक ओर तो रामकरण से भूमि कय करने के लिये दिनांक 2-2-2005 को विकय अनुबंध पत्र निष्पादित होने की छायाप्रति पेशी की है, वहीं दूसरी ओर दिनांक 27-5-2005 का कोई फर्द बटवारा भी पेश किया है । जबकि तत्समय खसरो में भूमि जसवंत के नाम नहीं होकर उनके पिता के नाम दर्ज रही है, जैसा कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 7 प्रमाणीकरण दिनांक 19-12-2007 के अवलोकन से स्पष्ट है । स्पष्ट है कि जसवंत की ओर से विभिन्न समयों के अलग-अलग आधारों के कथित सन्देहास्पद दस्तावेज पेश किये हैं, जो उसके प्रश्नाधीन भूमि के उसको वैधानिक अन्तरण के दावे को और कमजोर करता है । उपरोक्त समस्त तथ्य जसवंत द्वारा प्रस्तुत इन सब दस्तावेजों की सत्यता को संदेहास्पद बनाते हैं, जिन्हें संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अनावेदकगण का था, जिसमें वे सफल नहीं रहे हैं, ऐसा करने के लिये कोई सहयोगी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को देखकर सही निष्कर्ष निकाले हैं इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-1-2016 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
 ग्वालियर**